भारत गणराज्य की सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और
सीमाशुल्क बोर्ड तथा
न्यूजीलैंड सीमाशुल्क सेवा के बीच सीमाशुल्क मामलों में
सहयोगात्मक व्यवस्था

भारत गणराज्य की सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड तथा न्यूजीलैंड कस्टम्ज़ सर्विस (जिसे इसके बाद एकल रूप से "प्रतिभागी" और सामूहिक रूप से "प्रतिभागीयों" कहा जाएगा):

स्वीकार करते हुए:

- सीमाशुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने और अपने-अपने देशों के आर्थिक, राजकोषीय, सामाजिक, पर्यावरणीय और वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा के लिए, जिसमें उचित और कुशल सीमाशुल्क संग्रह सुनिश्चित करना शामिल है, प्रतिभागियों के बीच सहयोगात्मक का महत्व;

- वैध व्यापार और यात्रा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने और समाज, राष्ट्रीयता और राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुपालन और सुविधा के बीच संतुलन प्राप्त करने का महत्व;

- सीमाशुल्क सहयोगात्मक परिषद के उद्देश्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, जिसे अब विश्व सीमाशुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के रूप में जाना जाता है;

- डब्ल्यूसीओ के प्रासंगिक दस्तावेज, विशेष रूप से 5 दिसंबर 1953 की पारस्परिक प्रशासनिक सहायता से संबंधित सिफारिश और सीमाशुल्क सहयोगात्मक और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता में सुधार पर जून 2000 की साइप्रस घोषणा; और

मान्यता देते हुए: -

- सीमाशुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सामंजस्य पर संशोधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2000 (क्योटो कन्वेंशन) आधुनिक, कुशल सीमाशुल्क प्रक्रियाओं के लिए एक आवश्यक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें ऐसे शासी सिद्धांत शामिल हैं जो सीमाशुल्क प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल सभी व्यक्तियों को पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं;

- प्रतिभागियों की अपनी-अपनी सीमाओं को पार करने वाले निषिद्ध/प्रतिबंधित सामानों और किसी भी अन्य सीमाशुल्क अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कार्रवाई करने में अधिकतम संभव सीमा तक सहयोगात्मक करने की इच्छा;

- प्रतिभागियों के बीच घनिष्ठ संपर्क उनके पारस्परिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लाभ के लिए है;

- वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए डब्ल्यूसीओ मानकों के ढांचे के प्रावधान;

- प्रतिभागियों द्वारा जोखिम प्रबंधन सहित आधुनिक नियंत्रण विधियों को अपनाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया जाएगा;

- सूचना का वैश्विक आदान-प्रदान प्रभावी जोखिम प्रबंधन का एक अनिवार्य घटक है और ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान स्पष्ट कानूनी प्रावधानों पर आधारित होना चाहिए;

- विश्व आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए आतंकवादी गतिविधि के खतरे को कम करने और सीमा पार आपराधिक गतिविधि से निपटने के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक की आवश्यकता;

- 1948 की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा।

निम्नलिखित समझौते पर पहुँचे हैं:

परिभाषाएँ

1. इस सहयोगात्मक व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए:

"सीमाशुल्क प्रशासन" का अर्थ है:

भारत के संबंध में, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड ;

न्यूजीलैंड के संबंध में, न्यूजीलैंड कस्टम्ज़ सर्विस।

"**सीमाशुल्क कानून**" का अर्थ है प्रतिभागियों के राज्य के क्षेत्र में लागू कानून और विनियम, जो माल के आयात, निर्यात और पारगमन, तथा लोगों और शिल्प की सीमा पार आवाजाही से संबंधित हैं, जिन्हें प्रतिभागी द्वारा प्रशासित, लागू प्रवर्तित लागू किया जाता है।

"**सीमाशुल्क अपराध**" का अर्थ है सीमाशुल्क कानूनों का उल्लंघन या उल्लंघन करने का प्रयास करना।

"**सूचना**" का अर्थ है कोई भी विवरण, चाहे वह संसाधित या विश्लेषित हो या न हो, तथा किसी भी प्रारूप में दस्तावेज़, रिपोर्ट और अन्य संचार, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रमाणित या प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं।

"**व्यक्ति**" का अर्थ है वास्तविक और कानूनी व्यक्ति दोनों।

"व्यक्तिगत विवरण" का अर्थ है किसी पहचाने गए या पहचाने जाने योग्य प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित सभी सूचना।

"अनुरोधित प्रशासन" का अर्थ है वह सीमाशुल्क प्रशासन जिससे सहायता का अनुरोध किया जाता है।

"अनुरोधित राज्य" का अर्थ है वह राज्य जिसमें अनुरोधित प्रशासन सीमाशुल्क मामलों के लिए जिम्मेदार है।

"अनुरोध करने वाला प्रशासन" का अर्थ है वह सीमाशुल्क प्रशासन जो सहायता का अनुरोध करता है।

"अनुरोध करने वाला राज्य" का अर्थ है वह राज्य जिसमें अनुरोध करने वाला प्रशासन सीमाशुल्क मामलों के लिए जिम्मेदार है।

सहयोगात्मक का उद्देश्य और दायरा

2. प्रतिभागियों ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है कि, वे अपनी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक प्रतिभागी के राष्ट्रीय कानून के अनुसार सहयोग करेंगे ताकि:

   (क) सीमाशुल्क अपराधों की रोकथाम, पहचान, जांच और दमन में सहायता करें;

   (ख) न्यूजीलैंड तथा भारत के बीच माल की सुरक्षित आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित किया जाए। साथ ही आयात, निर्यात और पारगमन आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के आधार के रूप में प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों और मानकों का उपयोग किया जाए, जिन पर प्रतिभागियों ने सहमति व्यक्त की है;

   (ग) नई सीमाशुल्क प्रक्रियाओं के अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन में सहयोग करें, तथा सीमाशुल्क कानूनों और प्रक्रियाओं के

संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास और कर्मियों के प्रशिक्षण और आदान-प्रदान और सहायता के प्रावधान में सहयोग करें; और

(घ) सीमाशुल्क नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरणों के उपयोग के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना तथा सीमाशुल्क प्रशासन द्वारा विकसित या उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना का आदान-प्रदान करना तथा सीमाशुल्क कानूनों के प्रभावी अनुप्रयोग में उपयोगी पाया जाना, और

(ङ) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में संगठनों के काम के संबंध में, सीमाशुल्क तकनीकों में सुधार करने तथा सीमाशुल्क प्रक्रियाओं, सीमाशुल्क प्रवर्तन और व्यापार की सुविधा की समस्याओं के समाधान में, डब्ल्यूसीओ और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के काम में उनके द्वारा किए गए योगदान को अधिकतम करना।

(च) एक-दूसरे के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रमों को पारस्परिक रूप से मान्यता देने की संभावना का पता लगाकर सीमाओं के पार माल के वैध प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और सुरक्षित करना।

3. सहयोगात्मक व्यवस्था प्रतिभागियों के राज्यों के क्षेत्रों में लागू होगी, साथ ही प्रतिभागियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में उनके आगमन से पहले उच्च जोखिम वाली खेपों या रुचि के व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करने के लिए विशिष्ट सूचना का आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगी।

व्यापार सुविधा

4. व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, सीमा नियंत्रण और संबंधित आयात, निर्यात और पारगमन मामलों के प्रशासन में शामिल प्रत्येक भागीदार के अधिकारी और एजेंसियां अपनी गतिविधियों में सहयोग और समन्वय करेंगी।

भावी प्रयास

5. भागीदार तेजी से बदलते व्यापार और सुरक्षित वातावरण का उचित तरीके से जवाब देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे और व्यापार को सुविधाजनक बनाने, सुरक्षा को मजबूत करने और जोखिम प्रबंधन में निरंतर सुधार की मांग करेंगे। भागीदार डेटा के आदान-प्रदान जैसे अतिरिक्त संभावित व्यापार सुविधा, सुरक्षा और सीमाशुल्क जोखिम पहलों का पता लगाना जारी रखेंगे।

सहायता का प्रावधान

6. भागीदार अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सीमाशुल्क अपराधों की रोकथाम, पहचान, जांच, मुकाबला और अभियोजन में एक-दूसरे की सहायता करेंगे, और सीमाशुल्क और अन्य करों के उचित मूल्यांकन और आयात और निर्यात के निषेध और प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से जो भागीदार के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप हैं।

सूचना का आदान-प्रदान

7. इस सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत किसी भी सूचना की आपूर्ति अनुरोधित राज्य में सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित किसी भी कानून के अनुसार और उसके अधीन होगी, तथा प्रदान की गई सूचना के उपयोग और प्रकटीकरण से संबंधित अनुरोधित प्रशासन की किसी भी बताई गई चेतावनी के अनुसार होगी, सिवाय इस सीमा तक कि ऐसी सूचना को अनुरोधकर्ता राज्य में पूछताछ, प्रशासनिक, अर्ध-न्यायिक और न्यायिक कार्यवाही के संदर्भ में साक्ष्य के रूप में कानून द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता हो सकती है।

8. विशेष रूप से, इस सहयोगात्मक व्यवस्था के अनुसार प्रतिभागियों द्वारा प्रकट किए गए व्यक्तिगत वितरण का उपयोग केवल किसी भी प्रकार के सीमाशुल्क अपराधों या कारावास से दंडनीय अन्य अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या दंड के लिए किया जाएगा।

9. अनुरोधित प्रशासन व्यक्तिगत वितरण का आदान-प्रदान करने से इनकार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है कि सूचना किसी भी राज्य के कानूनों के संदिग्ध उल्लंघन से संबंधित है।

10. अनुरोधित प्रशासन द्वारा व्यक्तिगत वितरण के प्रकटीकरण की यह शर्त है कि अनुरोध करने वाला प्रशासन अनुरोधित प्रशासन को सूचित करने के बाद ही किसी अन्य घरेलू कानून प्रवर्तन प्राधिकरण को यह सूचना प्रकट करेगा, और सूचना केवल कानून प्रवर्तन के उद्देश्य से प्रकट की जाएगी। प्रकट किए गए व्यक्तिगत वितरण का उपयोग अनुरोधित प्रशासन की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी कानूनी कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है।

11. सूचना का आदान-प्रदान इस सहयोगात्मक व्यवस्था के अनुलग्नक 2 में शामिल व्यवस्थाओं के अधीन है।

सीमाशुल्क कानून के अनुप्रयोग और प्रवर्तन के लिए सूचना

12. प्रतिभागी अनुरोध पर या अपनी स्वयं की पहल पर एक-दूसरे को तुरंत ऐसी सूचना प्रदान करेंगे जो सीमाशुल्क कानूनों के उचित अनुप्रयोग, सीमाशुल्क अपराधों की रोकथाम, पहचान, जांच और दमन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है। ऐसी सूचना में शामिल हो सकते हैं:

(क) नई कानून प्रवर्तन तकनीकें जो अपनी प्रभावशीलता साबित कर चुकी हैं;

(ख) सीमाशुल्क अपराध करने के नए रुझान, साधन या तरीके;

(ग) सीमाशुल्क अपराधों के विषय के रूप में ज्ञात माल, साथ ही उन वस्तुओं के संबंध में उपयोग किए जाने वाले परिवहन और भंडारण के तरीके;

(घ) ऐसे व्यक्ति जो सीमाशुल्क अपराध करने के लिए जाने जाते हैं या सीमाशुल्क अपराध करने वाले संदिग्ध हैं; और

(ङ) कोई अन्य सूचना जो नियंत्रण और सुविधा उद्देश्यों के लिए जोखिम मूल्यांकन में सीमाशुल्क प्रशासन की सहायता कर सकती है।

13. अनुरोध किए जाने पर, अनुरोधित प्रशासन अपनी परिचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप, अनुरोधकर्ता प्रशासन को निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है:

(क) क्या अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में आयातित माल अनुरोधित राज्य के क्षेत्र से वैध रूप से निर्यात किया गया है और सीमाशुल्क प्रक्रिया, यदि कोई हो, जिसके अधीन माल रखा गया है;

(ख) क्या अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र से निर्यातित माल अनुरोधित राज्य के क्षेत्र में वैध रूप से आयात किया गया है और सीमाशुल्क प्रक्रिया, यदि कोई हो, जिसके अधीन माल रखा गया है।

सीमाशुल्क के आकलन के लिए सूचना

14. अनुरोध पर, अनुरोधित प्रशासन, पैराग्राफ 6 से 9 के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सीमाशुल्क कानून के उचित अनुप्रयोग के समर्थन में या सीमाशुल्क अपराधों की रोकथाम में अनुरोधकर्ता प्रशासन को प्रदान की गई सूचना की सत्यता या

सटीकता को सत्यापित करने में सहायता करने के लिए सूचना प्रदान कर सकता है। इस सूचना का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

(क) सीमाशुल्क उद्देश्यों के लिए माल के मूल्यांकन और टैरिफ वर्गीकरण सहित उचित मूल्यांकन करना;

(ख) माल की श्रेणी और उत्पत्ति का निर्धारण करना; और

(ग) आयात और निर्यात पर प्रासंगिक निषेध और प्रतिबंधों का पता लगाना।

15. अनुरोध में उन सत्यापन प्रक्रियाओं को जिन्हें अनुरोधकर्ता प्रशासन ने किया है या करने का प्रयास किया है तथा अनुरोधित की गई विशिष्ट सूचना को निर्दिष्ट किया जायेगा।

सीमाशुल्क अपराधों से संबंधित सूचना

16. प्रत्येक सीमाशुल्क प्रशासन अनुरोध पर या अपनी पहल पर, दूसरे सीमाशुल्क प्रशासन को नियोजित, चल रही या पूरी की गई गतिविधियों के बारे में सूचना प्रदान कर सकता है, जो यह मानने के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती हैं कि दूसरे राज्य के क्षेत्र में कोई सीमाशुल्क अपराध किया गया है या किया जा सकता है।

सूचना का खुलासा करने का प्रारूप

17. इस सहयोगात्मक व्यवस्था के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा तथा अनुरोध के लिए उपयोगी समझी जाने वाली कोई भी सूचना इसके साथ होगी। अनुरोध करने वाले प्रशासन को अनुरोध की लिखित पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। अनुरोध करने वाली एजेंसी को प्रदान की जाने वाली

सूचना लिखित रूप में होगी, जब तक कि प्रतिभागियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो।

सूचना का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान

18. प्रतिभागी, पैराग्राफ 6 से 9 के अनुसार आपसी व्यवस्था द्वारा, इस सहयोगात्मक व्यवस्था द्वारा कवर की गई किसी भी सूचना का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान-प्रदान कर सकते हैं।

19. प्रतिभागी केवल उन मामलों में मूल दस्तावेजों का अनुरोध करेंगे, जहां प्रमाणित या प्रमाणित प्रतियां अपर्याप्त होंगी। उक्त मूल दस्तावेज अनुरोध किए जाने पर यथाशीघ्र और बिना किसी देरी के वापस कर दिए जाएंगे। अनुरोधित प्रशासन या उससे संबंधित तीसरे पक्ष के अधिकार अप्रभावित रहेंगे।

20. इस सहयोगात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आदान-प्रदान की जाने वाली किसी भी सूचना और खुफिया सूचना के साथ व्याख्या या उपयोग के लिए कोई भी प्रासंगिक सूचना संलग्न की जाएगी।

21. प्रतिभागी, अनुरोध पर, प्रतिभागियों के क्षेत्रों के बीच व्यवहार किए जाने वाले माल और परिवहन के सीमाशुल्क निकासी से संबंधित समेकित व्यापार सांख्यिकी वितरण पर सूचना का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

22. अनुरोध और सूचना का आदान-प्रदान दोनों प्रतिभागियों द्वारा अनुमोदित एक सुरक्षित माध्यम से किया जाएगा।

विशेष सूचना आवश्यकताएँ

23. विशेष रूप से, प्रतिभागी अनुरोध पर या अपनी स्वयं की पहल पर, निम्नलिखित से संबंधित सूचना एक-दूसरे को प्रदान कर सकते हैं:

(क) अन्य प्रतिभागियों को माल या व्यक्तियों की अवैध या संदिग्ध आवाजाही;

(ख) प्रतिभागियों के सीमाशुल्क कानून के आवेदन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय अपराध, जिसमें स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों और पूर्ववर्ती रसायनों की तस्करी शामिल है; और

(ग) प्रतिभागियों के बीच व्यापार किए गए माल की रोकथाम जो सीमाशुल्क कानूनों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं।

सूचना सुरक्षा और उपयोग की सीमाएँ

24. इस सहयोगात्मक व्यवस्था के अंतर्गत साझा की गई सूचना का अनुरोध, संप्रेषण और संचालन करते समय दोनों प्रतिभागी निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेंगे:

(क) सहयोगात्मक व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की गई और प्राप्त की गई सूचना इस सहयोगात्मक व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सीमा तक सटीक, पूर्ण और वर्तमान होगी। प्राप्तकर्ता प्रतिभागी इस सहयोगात्मक व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त किसी भी सूचना को सूचना प्रदान करने वाले प्रतिभागी की अनुमति के बिना संशोधित नहीं करेगा।

(ख) जब किसी भी प्रतिभागी को पता चलता है कि इस सहयोगात्मक व्यवस्था के अंतर्गत उसके द्वारा प्रदान की गई या प्राप्त की गई सूचना गलत है, तो प्रतिभागी को दूसरे प्रतिभागी को इस गलत सूचना के बारे में सूचित करना चाहिए और सही सूचना प्रदान करनी चाहिए। प्रतिभागियों को, किसी भी प्रतिभागी द्वारा उसके द्वारा प्रदान की गई सूचना तक पहुँच, परिवर्धन, परिवर्तन, विलोपन या सुधार के लिए किए गए किसी भी अनुरोध के संबंध में समयबद्ध तरीके से उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

(ग) इस सहयोगात्मक व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त सूचना:

i हर समय अनधिकृत प्रसार से सुरक्षित होगी;

ii केवल आवश्यकता के आधार पर व्यक्तियों द्वारा एक्सेस की जाएगी;

iii सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक और/या पेपर स्टोरेज सिस्टम में संग्रहीत की जाएगी; और

iv इस सहयोगात्मक व्यवस्था में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने तक ही इसे रखा जाएगा और यथासंभव इसके बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा।

(घ) प्रत्येक भागीदार यथाशीघ्र सूचना की आकस्मिक या अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, संशोधन या निपटान के बारे में दूसरे को पूर्ण विवरण प्रदान करेगा।

(ड़) आवश्यकतानुसार, प्रत्येक भागीदार दूसरे से यह आश्वासन मांग सकता है कि इस सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत प्राप्त सूचना के संबंध में दूसरे द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

25. प्रत्येक भागीदार इस सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत प्राप्त सूचना को प्राप्तकर्ता राज्य के भीतर प्रकट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि:

(क) घरेलू एजेंसियों को यदि यह उस उद्देश्य के अनुरूप है जिसके लिए सूचना मूल रूप से अनुरोधकर्ता प्रतिभागी को प्रदान की गई थी;

(ख) अन्यथा प्रदान करने वाले प्रतिभागी की लिखित सहमति से; या

(ग) उस प्रतिभागी पर लागू होने वाले कानूनों और विनियमों द्वारा अपेक्षित।

कार्मिकों का आदान-प्रदान

26. प्रतिभागियों की तकनीकों और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से और किसी भी सामान्य/संयुक्त गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कार्मिकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था की जा सकती है।

अन्य संयुक्त गतिविधियाँ

27. प्रतिभागी साझा हित के मामलों पर सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए संयुक्त कार्य समूह स्थापित कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो प्रतिभागी एक तंत्र भी स्थापित कर सकते हैं जो:

(क) सहयोगात्मक व्यवस्था के उचित कामकाज को सुनिश्चित करेगा;

(ख) इसके आवेदन से उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों की जांच करेगा;

(ग) इस सहयोगात्मक व्यवस्था के उद्देश्यों के अनुसार ऐसे सभी मुद्दों को संबोधित करेगा;

(घ) प्रतिभागियों से संबंधित सामान्य हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेगा; और

(ङ) इस सहयोगात्मक व्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सौहार्दपूर्ण समाधानों की सिफारिश करेगा।

सहायता का प्रावधान

28. इस सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत सहायता के लिए अनुरोध, जिसमें सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है, मौखिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि अंग्रेजी में लिखित रूप में या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पत्र के माध्यम से, इस सहयोगात्मक व्यवस्था के अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध अनुरोधकर्ता प्रशासन के निर्दिष्ट संपर्क बिंदु द्वारा मूल अनुरोध की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर की जानी चाहिए। कोई भी अनुरोध अनुरोधित प्रशासन के निर्दिष्ट संपर्क बिंदु को भेजा जाएगा।

29. किसी भी लिखित अनुरोध में यह बताया जाएगा:

(क) अनुरोधकर्ता प्रशासन की वह शाखा जो जांच, कानूनी कार्यवाही या किसी अन्य कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है जो प्रदान की गई सहायता के परिणामस्वरूप शुरू की जाएगी;

(ख) अनुरोधित सहायता;

(ग) सहायता का अनुरोध करने का कारण;

(घ) सहायता का अनुरोध करने की तिथि;

(ङ) यदि लागू हो:

i समीक्षाधीन मामले का संक्षिप्त विवरण और संबंधित कानूनी और प्रशासनिक प्रावधान; और

ii अनुरोध से संबंधित व्यक्तियों के नाम और संपर्क विवरण, यदि ज्ञात हो; और

(च) कोई अन्य सूचना जो अनुरोध के निष्पादन में सहायता कर सकती है।

30. ऐसे अनुरोधों के साथ आने वाले किसी भी गैर-अंग्रेजी दस्तावेज़ का, जहाँ तक आवश्यक हो, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाएगा।

31. लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के भीतर अनुरोधित प्रशासन द्वारा सहायता के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। अनुरोधित प्रशासन अनुरोधकर्ता प्रशासन द्वारा अनुरोधित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराएगा। यदि अनुरोधित प्रशासन सहायता करने में असमर्थ है, या अनुरोध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सहायता करता है, तो वह अनुरोधकर्ता प्रशासन को इस तथ्य, इनकार या देरी के कारणों, और देरी के मामले में, सहायता कब प्रदान की जाने की संभावना है, के बारे में सूचित करेगा।

32. जहाँ अनुरोधकर्ता प्रशासन सहायता का अनुरोध करता है कि वह सहायता प्रदान नहीं कर सकता है, तो इस तथ्य को अनुरोधित प्रशासन के ध्यान में लाया जाएगा। ऐसे अनुरोध का उत्तर अनुरोधित प्रशासन के विवेक पर होगा।

33. यदि अनुरोधित प्रशासन परिस्थितियों में सहायता करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है, तो वह:

(क) अनुरोध को उपयुक्त प्राधिकारी को प्रेषित करेगा, और अनुरोधकर्ता प्रशासन को इस तथ्य की सलाह देगा; या

(ख) अनुरोधकर्ता प्रशासन को सूचित करें कि किस प्राधिकारी को अनुरोध प्राप्त करना चाहिए।

34. जहां अनुरोधित प्रशासन का मानना है कि अनुरोधकर्ता प्रशासन को सहायता का प्रावधान राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा, अनुरोधित राज्य की सार्वजनिक नीति के लिए हानिकारक होगा या उसके कानूनों या अन्य महत्वपूर्ण हितों के विपरीत होगा,

अनुरोधित प्रशासन या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से सहायता प्रदान करने से इनकार कर सकता है, या यह निर्धारित कर सकता है कि सहायता का प्रावधान अनुरोधकर्ता प्रशासन द्वारा कुछ शर्तों की संतुष्टि पर सशर्त है।

संपर्क बिंदु और होने वाली लागतें

35. सहभागी सहयोगात्मक व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए संपर्क बिंदु निर्धारित करेंगे। संबंधित संपर्क बिंदुओं के लिए संपर्क विवरण इस सहयोगात्मक व्यवस्था के अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध हैं।

36. इसके विपरीत कोई निर्णय न होने की स्थिति में, अनुरोधकर्ता प्रशासन उस अनुरोध का जवाब देने में शामिल आवश्यक व्ययों को पूरा करेगा, सिवाय स्टाफ लागत, स्टेशनरी और संचार के।

37. प्रत्येक भागीदार इस सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत सहायता के प्रावधान में होने वाली लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए सभी दावों को छोड़ देगा, सरकारी कर्मचारियों के अलावा विशेषज्ञों, गवाहों, दुभाषियों और अनुवादकों के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकृत व्ययों को छोड़कर, जिन्हें अनुरोधकर्ता प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा।

38. कर्मियों के आदान-प्रदान के माध्यम से तकनीकी सहयोगात्मक के प्रावधान में होने वाले व्यय प्रतिभागियों के बीच संयुक्त रूप से तय की गई विशेष व्यवस्था के अधीन होंगे।

मतभेद

39. इस सहयोगात्मक व्यवस्था के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी मतभेद को प्रतिभागियों के बीच परामर्श द्वारा हल किया जाएगा।

समीक्षा

40. प्रतिभागी अनुरोध पर या इसके प्रभावी होने की तिथि से दो वर्ष के अंत में इस सहयोगात्मक व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए मिलेंगे, जब तक कि वे एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित करके यह निर्णय न लें कि ऐसी कोई समीक्षा आवश्यक नहीं है।

लेखापरीक्षा

41. प्रतिभागी इस सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत अनुरोधित और प्रकट की गई सूचना का अद्यतन और सटीक रिकॉर्ड रखेंगे। प्रत्येक वर्ष प्रतिभागी अनुरोधों के अपने रिकॉर्ड का लेखापरीक्षा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत प्रकट की गई सूचना का उपयोग प्रतिभागियों की संबंधित विधायी आवश्यकताओं के अनुरूप है। प्रतिभागियों को एक-दूसरे के साथ किसी भी लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रभावी होने का समय, संशोधन और अवधि

42. यह सहयोगात्मक व्यवस्था हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगी तथा इसमें प्रतिभागियों की आपसी लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है।

43. यह सहयोगात्मक व्यवस्था तब तक चालू रहेगी जब तक कि इसे किसी भी प्रतिभागी द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता। कोई भी प्रतिभागी दूसरे प्रतिभागी को तीन महीने का लिखित नोटिस देकर इस सहयोगात्मक व्यवस्था को समाप्त कर सकता है। हालाँकि, समाप्ति के समय चल रही कार्यवाही फिर भी इस सहयोगात्मक व्यवस्था के प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाएगी।

अगस्त 2024 का 6वां दिन को दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित, प्रत्येक हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, प्रत्येक पाठ की वैधता समान होगी। इस सहयोगात्मक व्यवस्था के प्रावधानों की व्याख्या में किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति में, अंग्रेजी भाषा का पाठ मान्य होगा।

_____	_____
संजय कुमार अग्रवाल	**क्रिस्टीन स्टीवंसन**
अध्यक्ष	नियंत्रक
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड	न्यूजीलैंड सीमाशुल्क सेवा
भारत गणराज्य की सरकार	न्यूजीलैंड

<u>भारत</u>

(क) सहयोगात्मक व्यवस्था के परिचालन/व्यावहारिक पहलुओं से संबंधित मुद्दों के लिए:

(i) अपर महानिदेशक (मुख्यालय),
राजस्व आसूचना निदेशालय,
7वीं मंजिल, डी ब्लॉक, आई.पी. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली- 110 002

भारत
टेलीफोन: +91-11-2337 9438
फैक्स +91-11-2337 0437
ईमेल: drihqrs@nic.in

(ii) प्रथम सचिव (व्यापार),
भारतीय उच्चायोग,
31 ग्रेंज रोड,
सिंगापुर- 239702
टेलीफोन: +65-62382523
फैक्स: +65-67370969
ईमेल: com.singapore@mea.gov.in

(ख) सहयोगात्मक व्यवस्था के अन्य सभी पहलुओं से संबंधित मुद्दों के लिए:

आयुक्त (सीमाशुल्क और ईपी),
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड,
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

भारत।

टेलीफोन: +91-11-2309 2080

फैक्स: +91-11-2309 4432

ईमेल: commr.cus-cbec@nic.in

न्यूजीलैंड

सभी मामलों के लिए:

न्यूजीलैंड सीमाशुल्क सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी

न्यूजीलैंड सीमाशुल्क सेवा

सीमाशुल्क
1 हिनेमोआ सेंट
बॉक्स 2218
वेलिंगटन
न्यूजीलैंड

टेलीफोन: +64-4-901 4677

सेलफोन: +64-29-244 4333

फैक्स: +64-4-901 4758

ई-मेल: International.Liaison@customs.govt.nz

एकीकृत लक्ष्यीकरण और संचालन केंद्र (आईटीओसी)
न्यूजीलैंड सीमाशुल्क सेवा
टेलीफोन: +64 9 927 8009
ईमेल: ITOCOPS@customs.govt.nz

कृपया सभी पत्राचार की प्रतिलिपि निम्न पते पर भेजें:

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि:

न्यूजीलैंड सीमाशुल्क सेवा परामर्शदाता (कुला लंपुर)
न्यूजीलैंड उच्चायोग
स्तर 21, मेनारा आई एम सी
8 जालान सुल्तान इस्माइल
50250
कुला लंपुर
मलेशिया

डाक पता:
न्यूजीलैंड उच्चायोग
स्तर 21, मेनारा आई एम सी
8 जालान सुल्तान इस्माइल
50250
कुला लंपुर
मलेशिया

टेलीफोन: +60 3 2078 2533
सेल फोन: +60 12 244 0157
फैक्स: +60 2078 0387
ईमेल: nzcsklu@customs@govt.nz

भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच प्रकट की जा सकने वाली सूचना का निर्दिष्ट प्रकार या वर्ग

इस सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत प्रकट की जा सकने वाली सूचना के प्रकारों में निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

1) व्यापार के बारे में सूचना, जिसमें शामिल हैं:

(क) आयातक आईडी, नाम और पता;
(ख) निर्यातक आईडी, नाम और पता;
(ग) ग्राहक आईडी, नाम और पता;
(घ) ब्रोकर आईडी, नाम और पता;
(ङ) प्रेषक का नाम और पता; या
(च) प्राप्तकर्ता का नाम और पता।

जहां यह सूचना व्यक्तियों से संबंधित है, एजेंसी के पास है और अनुरोध के लिए प्रासंगिक है

2) शिल्प के बारे में सूचना, जिसमें शामिल हैं:

(क) जहाज पर सवार लोगों का विवरण जिसमें शामिल हैं
  क. नाम;
  ख. जन्म तिथि;
  ग. पासपोर्ट संख्या;
  घ. नागरिकता;

(ख) यात्रा गतिविधि की सूचना, जिसमें शामिल हैं

  क. संबंधित उड़ान या यात्रा के संबंध में विमान की उड़ान संख्या या जहाज का नाम; या

ख. वह देश जिसमें व्यक्ति विमान या जहाज़ पर चढ़ा या उतरने का इरादा रखता है।

जहां यह सूचना एजेंसी के पास है और अनुरोध के लिए प्रासंगिक है

3) लोगों के बारे में सूचना, जिसमें शामिल हैं:

(क) नाम;

(ख) उर्फनाम/उपनाम;

(ग) जन्म की तिथि, स्थान और/या देश;

(घ) नागरिकता;

(ङ) लिंग, और वैवाहिक या संबंध स्थिति;

(च) सामान्य व्यवसाय;

(छ) नियोक्ता;

(ज) पासपोर्ट नंबर;

जहां यह सूचना एजेंसी के पास है और अनुरोध के लिए प्रासंगिक है

4) जब्त/हिरासत में लिए गए सामान के बारे में सूचना, जिसमें शामिल हैं:

(क) उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम और संपर्क सूचना, जहां से सामान जब्त किया गया था, जहां यह सूचना एजेंसी के पास है और अनुरोध के लिए प्रासंगिक है।